

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 379] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30, 1978/पौष 9, 1900 रूप में
No. 379] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 1978/PAUSA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1978

सा. का. नि. 603(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम 1957 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम और बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का नाम (केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) (संशोधन) नियम 1978 हैं ।
- (2) केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम 1957 में, नियम 12 में,—

- (1) उप नियम (1) में, प्रथम परन्तुक में, "1978" अंकों के स्थान पर "1979" अंक रखे जाएंगे ;
- (2) उप नियम (5) में, तीसरे परन्तुक में "1978" अंकों के स्थान पर "1979" अंक रखे जाएंगे ।

[प्र. सं. 28/26/78-बिक्री कर]

एस. डी. रामस्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Sales Tax Section

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1978

G.S.R. 603(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, namely :—

1. These rules may be called the Central Sales Tax (Registration and Turnover) (Amendment) Rules, 1978.
2. In the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, in rule 12,—
 - (i) in sub-rule (1), in the first proviso, for the figures "1978", the figures "1979" shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (5), in the third proviso, for the figures "1978", the figures "1979" shall be substituted.

[F. No. 28/26/78-ST]

S. D. RAMASWAMY, Under Secy.

